रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2023.
   प्र. इ. रि. स. ....16/2023................ दिनांक ....18/1/2023..............
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7, 7ए..............................
   (ब) अधिनियम ....भादस..................धारायें.........120बी..............................
   (स) अधिनियम ....धारायें..............................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....355.........समय.........6:10 PM.
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–मंगलवार / 17.01.2023 / 02.50 पी.एम..............................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–16.01.2023 समय.–11.25 ए.एम. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– पंचायत समिति परिसर पहाडी जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –पश्चिम , दूरी करीब 75 किमी..............................
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला......................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री रमेश चन्द**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री मोहन सिंह जाति जाटव ....(स) जन्म तिथि / वर्ष 26 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी...........जारी होने की जगह..............................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –खल्लूका पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

   1– आशिक खान पुत्र श्री शेर खान जाति मेव उम्र 40 साल निवासी ग्राम गादली पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी जिला भरतपुर।

   2– रामखिलाडी पुत्र श्री सुफेदी जाति प्रजापत उम्र 41 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर (दलाल)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..............................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........
    ....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..................

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। विषय– रिश्वत लेते हुए रगें हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मै रमेश चन्द पुत्र मोहन सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी का रहने वाला हूं मेरी ग्राम पंचायत भौरी लगती है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आशिक खान लगा हुआ है मै दिनांक 14.01.2023 को मेरे भाई विकास के नाम से नरेगा का जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करवाने के लिए मै पंचायत समिति पहाडी गया था जहां मुझे आशिक खान सैकेटरी मिला जिससे मैने जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करवाने के लिए कहा और उसको कागजात दे दिये तो उसने मेरे से कहा कि जॉब कार्ड बनवा दुंगा 10 हजार रूपये लगेगें मेरे निवेदन करने पर 7000 रूपये लेने पर राजी हो गया और 4 हजार रूपये मेरे से रिश्वत में उसी समय ले लिए और कहा कि बाकी के रूपये दिनांक 16.01.2023 सोमवार को दे जाना आशिक खान मेरे से जॉब कार्ड

बनाने व ऑन लाईन करने की एवज में रिश्वत में और 3 हजार रूपये की मांग कर रहा है मै उसको रिश्वत में 3000 रूपये नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगें हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी आशिक खान से कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी रमेश चन्द, रमेश चन्द पुत्र मोहन सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी जिला भरतपुर मो. 9057013803 एसडी मेहश मीणी अति. पुलिस अधीक्षक 16.01.23 एसडी योगेश खण्डेलवाल 17.01.23 एसडी योगेश कुमार 17.01.23

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 16.01.2023 को समय 11.25 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेश चन्द पुत्र मोहन सिंह उम्र 26 साल जाति जाटव निवासी ग्राम खल्लूका पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा के समक्ष पेश की इस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मै रमेश चन्द पुत्र मोहन सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी का रहने वाला हूं मेरी ग्राम पंचायत भौरी लगती है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आशिक खान लगा हुआ है मै दिनांक 14.01.2023 को मेरे भाई विकास के नाम से नरेगा का जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करवाने के लिए मै पंचायत समिति पहाडी गया था जहां मुझे आशिक खान सैकेटरी मिला जिससे मैने जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करवाने के लिए कहा और उसको कागजात दे दिये तो उसने मेरे से कहा कि जॉब कार्ड बनवा दुंगा 10 हजार रूपये लगेगें मेरे निवेदन करने पर 7000 रूपये लेने पर राजी हो गया और 4 हजार रूपये मेरे से रिश्वत में उसी समय ले लिए और कहा कि बाकी के रूपये दिनांक 16.01.2023 सोमवार को दे जाना आशिक खान मेरे से जॉब कार्ड बनाने व ऑन लाईन करने की एवज में रिश्वत में और 3 हजार रूपये की मांग कर रहा है मै उसको रिश्वत में 3000 रूपये नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगें हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी आशिक खान से कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं उक्त रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 12.15 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये रीतराम सिंह हैड कानि. 45 से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री रमेश चन्द को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कुमार कानि. नं. 185 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। बाद हिदायत परिवादी एवं श्री सुरेश कुमार कानि. को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सरकारी मोटर साईकिल आर जे 14 एन बी 5665 से पहाडी जिला भरतपुर के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.00 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द व श्री सुरेश कुमार कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुरेश कुमार कानि. से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर पंचायत समिति पहाडी पहुंचे जहां आरोपी आशिक खान सैकेटरी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी उपस्थित मिला सैकेटरी साहब आशिक खान से मेरी वार्ता हो गई है सैकेटरी आशिक खान ने मेरे से मेरे भाई विकास का नरेगा मे कार्य करने हेतु जॉब कार्ड बनाने व ऑल लाईन करने की एवज में 3,000 रूपये रिश्वत की मांग की और कल दिनांक 17.01.2023 को मेरे से लेने पर सहमत हुए है मैंने उक्त वार्तालाप इस वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। इसके बाद मैं सुरेश कुमार कानि. के पास पहुंचा जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद मैने सुरेश कुमार कानि. को सारी बात बताई। इसके बाद मै व श्री सुरेश कुमार कानि0 वहां से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी

गई। अतः परिवादी के समक्ष उक्त वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर पेन ड्राईव तैयार की जावेगी। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.45 पीएम पर परिवादी रमेश चन्द व आरोपी आशिक खान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और दो पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.45 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3,000 रूपये का इन्तजाम है इस पर समय अधिक होने के कारण परिवादी श्री रमेश चन्द को कार्यालय में रूकने की मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 17.01.2023 समय 09.15 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से पूर्व में पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता व योगेश कुमार वरिष्ठ सहायक को जरिये मोबाईल कार्यालय में उपस्थित होने हेतु तबल किया गया। तत्पश्चात समय 10.00 एएम पर जरिये मोबईल तलब शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री योगेश कुमार पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश उम्र 35 साल जाति कश्यप निवासी रूधिया नगर कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर एवं योगेश खण्डेलवाल पुत्र स्व0 श्री अशोक कुमार उम्र 30 साल जाति वैश्य निवासी डी –88 रंणजीत नगर भरतपुर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर हाल सहायक अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर होना बताया कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रमेश चन्द का स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवगत कराया तथा परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढने के लिये दिया गया एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने मौखिक सहमति दी एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 10.35 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द पुत्र मोहन सिंह उम्र 26 साल जाति जाटव निवासी ग्राम खल्लूका पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 06 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 3000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077420
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077423
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077424
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077425
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077 393
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077391

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 से

कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री रमेश चन्द की जामा तलाशी योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 3,000/–रूपये के नोटों को श्री राजेन्द्र सिह कानि0 से परिवादी के पहने हुए शर्ट की बांयी तरफ की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता से एक कांच के गिलास में साफ पानी रोड के साईड में लगे नल से मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री राजेन्द्र सिह कानि0 से कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया श्री राजेन्द्र सिह के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री राजेन्द्र सिह कानि0 को कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय 11.20 एएम पर श्री रीतराम हैड कानि0 45, श्री सुरेश कुमार कानि0 185, श्री गोकुलेश कानि0 454 मय परिवादी श्री रमेश चन्द मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिंह कानि0 591, विनोद सिंह कानि0 114, श्री सुशील कुमार कानि0 557, श्री गम्भीर सिह कानि0 475 श्री दिलीप सिंह कानि0 610 मय लेपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स के मय प्राईवेट वाहन मय प्राईवेट चालक के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पहाडी जिला भरतपुर रवाना हुआ। श्री परसराम कानि0 203 को जरिये मोबाईल पंचायत समिति पहाडी के पास मय प्राईवेट मोटर साईकिल के उपस्थित होने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 01.15 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री रमेश चन्द मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के पंचायत समिति पहाडी से कुछ दूरी पहले कामां रोड पहुंच कर वाहनों को साईड में खडा किया जहां पूर्व से पाबन्द शुदा श्री परसराम कानि0 मय प्राईवेट मोटर साईकिल के उपस्थित मिला परिवादी श्री रमेश चन्द को श्री परसराम कानि0 के साथ निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री दिलीप कुमार कानि0 व श्री गोकुलेश कानि0 श्री सुशील कुमार कानि0 व श्री गम्भीर सिंह कानि0 को उनके पीछे–पीछे रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा मय हमराहीयान गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के वाहनों के पास से रवाना होकर पंचायत समिति पहाडी के आस पास अपनी अपनी पहचान छुपाते हुए खडे हो गये इसके बाद समय 02.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक को परिवादी श्री रमेश चन्द के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के पंचायत समिति पहाडी के कामां रोड के ओर स्थित मुख्य गेट के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री रमेश चन्द उपस्थित मिला परिवादी से पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी श्री रमेश चन्द ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पंचायत समिति परिसर में बनी चाय की दुकान के पास खडे पेंट शर्ट व काले रंग की जेकिट पहने एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही आशिक खान सैकेटरी है जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत में 3,000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर वापस मुझे देकर मेरे से चाय की दुकान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिलवा दिये हैं इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी , स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मुख्य गेट से रवाना होकर चाय की दुकान के पास पहुंचा परिवादी के बताये अनुसार खडे हुए व्यक्ति के पास पहुंच कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आशिक खान पुत्र श्री शेर खान जाति मेव उम्र 40 साल निवासी ग्राम गादली पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी जिला भरतपुर होना बताया जिससे परिवादी श्री रमेश चन्द से ली गई रिश्वत राशि 3,000 रूपये के संबंध में पूछा तो बताया कि रमेश ने मुझे 3,000 रूपये दिये थे जिनको मैने हाथ में लेकर गिनकर वापस रमेश को देकर उससे कहा कि इन रूपयों को चाय दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति को दे दे मेरी इससे बात हो गई है रूपये ले लेगा। इस पर चाय की दुकान पर बैठे हुए से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामखिलाडी पुत्र श्री सुफेदी जाति प्रजापत उम्र 41 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर होना बताया जिससे परिवादी रमेश चन्द से रिश्वत राशि 3,000 रूपये लेने के संबंध में पूछा तो रामखिलाडी ने बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरे पास सैकेटरी साहब आशिक खान जी आये थे जिन्होने मेरे से कहा कि रमेश नाम का व्यक्ति से 3,000 रूपये ले लेना इसके बाद मैने सैकेटरी साहब के बताये अनुसार व्यक्ति से 3,000 रूपये लेकर दोनों हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की पीछे की जेब में रख लिये है रूपये अभी भी मेरे जेब में रखे हुए हैं इस पर स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार वरिष्ठ सहायक से रामखिलाडी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी तरफ की पीछे की जेब की तलाशी लिवाई गई तो जेब में पांच पांच सौ रूपये के कुछ नोट मुडी हुई अवस्था में मिले जिनको गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना पाये गये नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत नोट से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहू होना पाये गये। जिनको सुरक्षित स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार वरिष्ठ सहायक के पास रखवाया गया चूंकि मौके पर काफी लोगों की भीड एकत्रित हो चुकी है कार्यवाही में व्यवधान पडने की आशंका को देखते हुए आशिक खान ग्राम विकास अधिकारी एवं रामखिलाडी प्राईवेट व्यक्ति को डिटेन किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित स्थान पंचायत समिति पहाडी के अन्दर ब्लॉक –1 में विकास अधिकारी कक्ष में मय डिटेन शुदा आरोपीगण, परिवादी , स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के पहुंचे जहां उपस्थित परिवादी से आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि 3,000 रूपये के संबध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे भाई विकास के नाम से नरेगा में कार्य करने का जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करवाने के लिये दिनांक 14.01.2023 को हमारी ग्राम पंचायत भौरी के सैकेटरी साहब आशिक जी से पंचायत समिति पहाडी में मिला और उनको कागजात पेश किये तो उन्होने मुझसे जॉब कार्ड बनाने व ऑन लाईन करने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 7000 रूपये लेने के लिये राजी हो गये और मेरे से 4000 रूपये उसी समय ले लिये और दिनांक 16.01.2023 को बाकी के 3000 रूपये देकर जाने की कहा उसके बाद ही जॉब कार्ड बनाने की कहा। इसके बाद मैने कल दिनांक 16.01.2023 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर रिश्वत मांगने की शिकायत की शिकायत पर आप द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आशिक खान सैकेटरी साहब ने मेरे से 3,000 रूपये रिश्वत की मांग की उक्त मांग के आधार आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे से रिश्वत में 3,000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर वापस मुझे देकर मेरे से चाय की

दुकान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिलवा दिये। इस पर आरोपी आशिक खान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी से पूछा गया तो बताया कि मेरे पास करीबन चार साल से ग्राम पंचायत भौरी का ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज है खल्लूका गांव ग्राम पंचायत भौरी के अन्तर्गत आता है। नरेगा में कार्य करने हेतु जॉब कार्ड बनवाने के लिये प्रार्थी सर्व प्रथम ग्राम पंचायत कार्यालय मे आवेदन करता है इसके बाद ग्राम पंचायत ऑन लाईन की प्रकिया पूर्ण कर जॉब कार्ड जारी करती है। मैने रमेश चन्द से दिनांक 14.01.2023 को कोई रूपये नहीं लिये थे और दिनांक 16.01.2023 को भी मैने कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की मैने रमेश चन्द को दस हजार रूपये उधार दिये थे उनको ले रहा था आज भी मैने उधार के रूपयों में से 3,000 रूपये अपने हाथ में लेकर गिनकर रमेश द्वारा ही चाय की दुकान पर कार्य करने वाले रामखिलाडी को दिलवाये है। तत्पश्चात चाय की दुकान पर कार्य करने वाले डिटेन शुदा रामखिलाडी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैने रमेश नाम के व्यक्ति से 3,000 रूपये सैकेटरी साहब आशिक खान के कहने पर लिये थे जिनको मैने अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रख लिये थे। इस पर पास में खडे परिवादी श्री रमेश चन्द ने आरोपी आशिक खान की बात का खण्डन करते हुए कहा कि आशिक खान सैकेटरी साहब झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई विकास के नाम से नरेगा में कार्य करने का जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करवाने के लिये दिनांक 14.01.2023 को हमारी ग्राम पंचायत भौरी के सैकेटरी साहब आशिक जी से पंचायत समिति पहाडी में मिला और उनको कागजात पेश किये तो उन्होने मुझसे जॉब कार्ड बनाने व ऑन लाईन करने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 7000 रूपये लेने के लिये राजी हो गये और मेरे से 4000 रूपये उसी समय ले लिये और दिनांक 16.01.2023 को बाकी के 3000 रूपये देकर जाने की कहा उसके बाद ही जॉब कार्ड बनाने की कहा। इसके बाद मैने कल दिनांक 16.01.2023 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर रिश्वत मांगने की शिकायत की शिकायत पर आप द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आशिक खान सैकेटरी साहब ने मेरे से 3,000 रूपये रिश्वत की मांग की उक्त मांग के आधार आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे से रिश्वत में 3,000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर वापस मुझे देकर मेरे से चाय की दुकान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिलवा दिये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर विकास अधिकारी कक्ष में बनी बाथ रूम की नल की टोंटी से साफ पानी मगवा कर स्टील के कटोरे को शैम्पू पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में आरोपी आशिक खान ग्राम विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी आशिक खान के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी प्राईवेट व्यक्ति रामखिलाडी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच–3 व आर एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी

तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी प्राईवेट व्यक्ति रामखिलाडी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा--आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–3 व एल एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री योगेश कुमार वरिष्ठ सहायक से आरोपी प्राईवेट व्यक्ति रामखिलाडी की पूर्व में लिवाई गई तलाशी में मिले पांच पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3,000 रूपये को पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के कराया गया तो नम्बर हुबहु पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077420
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077423
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077424
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077425
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077 393
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 NT 077391

उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को शैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। उक्त घोल में आरोपी रामखिलाडी के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर पहनने के लिये घर से लॉवर मंगवाया जाकर दिया गया एवं पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब को उलटवाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी पी–1 व पी पी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा पेन्ट बरंग सलेटी जिसकी पीछे की दाहिनी जेब के उपर अंग्रजी में मौर्य 8058319727 – पहाडी. लिखा हुआ है। पेन्ट को उलटवा कर सुखावा कर जेब पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पीपी अंकित किया जाकर बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से पूर्व में प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। परिवादी के भाई विकास के जॉब कार्ड से संबंधित कागजात के संबंध में पूछा तो बैग में होना बताये जिन्हे पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। आरोपीगण आशिक खान ग्राम विकास अधिकारी व दलाल रामखिलाडी का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.55 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमेश चन्द की मौजूदगी में परिवादी के भाई विकास के नाम मनरेगा का जॉब कार्ड सामान्य श्रेणी का आरोपी आशिक खान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी द्वारा अपने पंचायत समिति पहाडी में रखे हुए बैग में से निकाल कर पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो जॉब कार्ड पुस्तक नुमा है जिसके उपरी कवर पेज पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान जॉब कार्ड सामन्य श्रेणी जॉब कार्ड नं0 27 जॉब कार्ड परिवार के मुखिया के नाम के स्थान पर नीले बॉल पेन से विकास पुत्र मोहनसिंह लिखा हुआ है तथा श्रेणी पता भरा हुआ है कवर के पीछे की तरफ परिवार के सदस्यों का विवरण में विकास का विवरण पेन से लिखा हुआ है जॉब कार्ड आगे व पीछे के कवर पृष्ठ को छोड कर 01

लगायत 13 है जो प्रिन्टेड प्रोफार्मा में है जो खाली है जॉब कार्ड के पीछे के कवर पेज पर मनरेगा योजना के लाभ व स्कीम लिखी हुई है। उक्त जॉब कार्ड की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने से जॉब कार्ड के प्रथम व अन्तिम कवर पेज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर बतौर बजह सबूत जप्त किया गया। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.20 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी आशिक खान पुत्र श्री शेर खान जाति मेव उम्र 40 साल निवासी ग्राम गादली पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी जिला भरतपुर को परिवादी श्री रमेश चन्द से परिवादी भाई विकास का मनेरगा में कार्य करने के लिये जॉब कार्ड बनाने व ऑन लाईन करने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 16.01.2023 को आरोपी द्वारा 3,000/– रूपये रिश्वत की मांग करना व दिनांक 14.01.2023 को परिवादी से 4000 रूपये प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि को प्राईवेट व्यक्ति रामखिलाडी को दिलवाने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल वन प्लस कम्पनी डवल सिम का मिला जिसमें मोबाइल नम्बर 7665468300 एवं 8209796700 की सिम लगी हुई है तथा जेब में एक रॉयल इन्फील्ड बुलेट मोटर साईकिल की चाबी व ग्राम पंचायत भौरी, मालीकी की डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट व एक खुद का डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट है व 1890 रूपये नकद मिले जिनके सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि ये रूपये घर खर्च होना बताये उक्त 1890 रूपये व मोटरसाईकिल की चाबी व मोबाईल मौके पर उपस्थित आरोपी के छोटे भाई मोहम्मद मुस्तकीम को सुपुर्द किये गये व अन्य सामान विकास अधिकारी पंचायत समिति पहाडी को सुपुर्द किया जावेगा। फर्द गिरफतारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.50 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी रामखिलाडी पुत्र श्री सुफेदी जाति प्रजापत उम्र 41 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर प्राईवेट व्यक्ति को परिवादी श्री रमेश चन्द से आरोपी आशिक खान के कहने पर रिश्वत राशि 3,000 रूपये प्राप्त करना व रिश्वत राशि आरोपी रामखिलाडी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता से लिवायी गई तो आरोपी के पास पहने हुए कपडों के अवाला अन्य कोई वस्तु नही मिली। फर्द गिरफतारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.10 पीएम पर परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका में रोड लाईटों व पंचायत समिति पहाडी पर लगी लाईटों की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर रात्री का वक्त हो जाने व कार्यवाही किये काफी समय हो चुका है आरोपी आशिक खान ग्राम विकास अधिकारी अपने गांव गादली में परिवार सहित निवास करता है कार्यवाही के संबंध में उसके परिवार जनों को भी जानकारी हो चुकी है ऐसी सूरत में खाना तलाशी में कोई संदिग्ध राशि या सामान मिलने की संम्भावना नहीं है ऐसी सूरत में खाना तलाशी नहीं ली गई है। तत्पश्चात समय 07.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय गिरफतार शुदा आरोपीगण मय लेपटाप, प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 3,000 रूपये मय धोवन की 10 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के जरिये प्राईवेट वाहनों एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना हुआ। श्री सुशील कुमार कानि0 व हमराहीयान जाप्ते को निर्देशिक किया की आरोपीगण को सीधे ही पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करा कर एसीबी चौकी भरतपुर आये। तत्पश्चात समय 09.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय लेपटाप, प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स मय जप्त शुदा सील्ड रिश्वती राशि 3,000 रूपये मय धोवन की 10 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक

फर्दात के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 3,000/–रूपये, धोवन की 10 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात को श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया।तत्पश्चात समय 09.50 पीएम पर श्री सुशील कुमार कानि0 मय हमराहीयान जाप्ते के आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरागेट में बन्द हवालात कर एसीबी चौकी भरतपुर उपस्थित आया। इसके बाद समय 10.15 पीएम पर परिवादी रमेश से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपी आशिक खान ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष पेन ड्राईव तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। पेन ड्राईव की और तीन पेन ड्राईव तैयार करवायी गई। मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम पेन ड्राईव प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल पेन ड्राईव एवं दो मुल्जिम प्रति पेन ड्राईव को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व दो मुल्जिम पेन ड्राईव को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिसपर एसीबी एसयू बीपीआर (13) लिखा हुआ है, को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री योगेश खण्डेलवाल सहायक अभियंता को दी गई। बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी आशिक खान कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द निवासी खल्लूका तहसील पहाडी जिला भरतपुर से उसके भाई विकास के नाम से नरेगा का जॉब कार्ड बनवाने व ऑन लाईन करने की एवज में दिनांक 16.01.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 3,000 रूपये रिश्वत की मांग की व पूर्व में दिनांक 14.01.2023 को 4,000 रूपये प्राप्त होने की कहना उक्त रिश्वत मांग के अनुसंरण में दिनांक 17.01.2023 को पंचायत समिति परिसर पहाडी में परिवादी से 3,000 रूपये प्राप्त कर पंचायत समिति परिसर पहाडी में स्थित चाय की दुकान पर कार्य करने वाले दलाल रामखिलाडी को दिलवाना एवं आरोपी दलाल रामखिलाडी की पहनी हुई पेन्ट की जेब से रिश्वत राशि 3,000 रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त आशिक खान पुत्र श्री शेर खान जाति मेव उम्र 40 साल निवासी ग्राम गादली पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पहाडी अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भौरी पंचायत समिति पहाडी जिला भरतपुर एवं रामखिलाडी पुत्र श्री सुफेदी जाति प्रजापत उम्र 41 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला पहाडी पुलिस थाना पहाडी जिला भरतपुर (दलाल) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू भरतपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री आशिक खान पुत्र श्री शेर खान, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति पहाडी, अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भौरी, पंचायत समिति पहाडी जिला भरतपुर एवं 2. श्री रामखिलाडी पुत्र श्री सुफेदी(दलाल) निवासी गुर्जर मौहल्ला पहाडी, पुलिस थाना पहाडी, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 16/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 120-23 दिनांक 18.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भरतपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर।

18.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।